न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2016/00221 (188/2016) 223 आरटीएक्ट

1. भजनलाल
2. रामकुमार

} पिसरान रामसुख जाति कुम्हार निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ —अपीलाण्ट

बनाम

1. कलावती पत्नी जवाहरलाल जाति बेरवाल निवासी अमरथेड़ी तहसील व जिला जींद हरियाणा ।
2. कृष्ण कुमार पुत्र रामसुख जाति कुम्हार निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा

—रेस्पोडेण्ट्

विरूद्ध आदेश दिनांक 22.06.2016 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा प्रकरण संख्या 152/2015 बअनवानी भजनलाल आदि बनाम कलावती आदी

उपस्थितः–
श्री कुलदीप खुड़िया अधिवक्ता अपीलाण्ट

निर्णय दिनांकः– 26.04.2019

1. अपीलाण्ट/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद बाबत घोषणा व इस्तकरारहक प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या 1 के पति जगदीश की मृत्यु होने के उपरान्त उसकी पत्नी कलावती ने ग्राम सूरतपुरा से अपने पूर्व पति के घर से सारा संबंध तोड़ कर अमर हेड़ी में जवाहरलाल से शादी कर ली। उसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 ने एक शपथ–पत्र के द्वारा ग्राम सूरतपुरा की प्रश्नगत भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं रखने का तहरीर करने के आधार पर ग्राम-सूरतपुरा की भूमि में से कलावती प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/16 हिस्सा दर्ज भूमि में उसका हिस्सा कलमजन कर वादीगण व प्रतिवादीगण 2 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज किये जाने की उदघोषणा चाही। विचारण न्यायालय ने दावा अस्वीकार कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. अपीलाण्ट के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट का भाई जगदीश 1999 में फौत हो चुका है। उसकी पत्नी कलावती ने दूसरी शादी हरियाणा में जवाहरलाल से कर ली है, जिससे उसके तीन बच्चे हैं जबकि अपीलाण्ट के भाई से कलावती के कोई सन्तान नहीं है। परन्तु प्रश्नगत भूमि जो गांव सूरतपुरा की है वह जगदीश के फौत होने के पश्चात् उसको 1/16 हिस्सा कलावती के नाम दर्ज हो गया। जबकि कलावती ने शपथ–पत्र दिनांक 28.05.2014 को तहरीर किया है कि सूरतपुरा में ना मेरी कोई सम्पति है ना ही कोई सन्तान है। ग्राम सूरतपुरा की

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web copy - Not Official

सम्पति वह नहीं लेना चाहती। इसलिए इस शपथ–पत्र के आधार पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के नाम दर्ज 1/16 हिस्सा में दर्ज कलावती का नाम कलमजन किया जाकर वादी और प्रतिवादी सं0 2 के नाम से दर्ज किया जावे। कलावती को नोटिस जाने के बाद भी वह उपस्थित नहीं आई है। ना ही अपील में उपस्थित आकर अपने शपथ–पत्र का विरोध किया है। जिससे स्पष्ट है कि उसका गांव सूरतपुरा की भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है। इसलिए दावा डिक्री योग्य है एवं अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के नाम दर्ज खातेदारी भूमि की उद्घोषणा अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के नाम चाही है एवं अभिलेख से रेस्पोडेण्ट का नाम 1 का नाम कलमजन किये जाने का अनुतोष भी चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट ने दावा के समर्थन में शपथ–पत्र कलावती पत्नी जगदीश का प्रस्तुत किया है एवं उस शपथ–पत्र के आधार उसके नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवाये जाने की उद्घोषणा चाही है, परन्तु प्रतिवादी/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 न तो विचारण न्यायालय में उपस्थित आई है और न ही अपीलीय न्यायालय में उपस्थित आई है एवं न ही वादी द्वारा प्रस्तुत कलावती के शपथ–पत्र में प्रश्नगत भूमि का विशिष्ट रूप से कोई उल्लेख है। कानूनन कोई खातेदार काश्तकार अपनी भूमि का हस्तान्तरण रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर ही कर सकता है। इस प्रकार के शपथ–पत्र के आधार पर किसी खातेदार काश्तकार के अधिकार हस्तान्तरित नहीं हो सकते है। अपीलाण्ट ने ऐसा कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज अपील स्तर पर भी प्रस्तुत करने में विफल रहा है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय जिसके दावा वादीगण खारिज किया गया है उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। उक्त आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य बनती है एवं अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जाने योग्य है।

6. उपरोक्त विवेचन एव विलेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा का निर्णय दिनांक 22.06.2016 यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.04.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

26/4/19

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official